

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री घोषणा में जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में नौटी-छातोली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार हेतु 0.140 हे० सिविल भूमि, एवं मकड़िस्पोजल हेतु 0.030 हे० कुल भूमि 0.170 हे० सिविल भूमि का लो०नि�०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि�०वि०
गौचर

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि�०वि०
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि�०वि०
गौचर

वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर वन क्षेत्र(गौचर)

हे० / -

प्रभागीय वनाधिकारी